परियोजना का नाम :--

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कीर तहसील क्रमाली जिला रिकार

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत की अर्थात कुल की अर्थात कुल की विन भूमि का विमाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। विना किया अर्थित वन अर्थि के अन्तर्भ के विषय में ग्राम पंचायत की किया प्रत्यावर्षित वन अर्थि के अन्तर्भ की विषय में ग्राम पंचायत की किया प्राप्तित वार्ष अर्थित वन अर्थि के

जक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत — द्वारा दिनांक कि कि कि सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकह्य अभिकारी ग्राम क्षित का भिलंगना, टि० मा

ग्राम प्रधान

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपन्न में दिया जाय। उक्त प्रपन्न उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रधान ग्राम पंचायत बौंर

विकास खण्ड भिलंगना जनपद टिहरी गढ़वाल

৯ (ওল্যাভাত্ত)

कार्यालय:-

ाकेश प्रसाद गैरोला

ग्राम-बाँच पां०-पिलखाँ,पट्टी-कोटि-फंगुल

जनपद टिइरी गड्वाल (उत्तराखण्ड)

मो0- 9758008135-7830265787

usia V

<प्रधान>

Raia 21219015

सीमान जी व्याना चनमार्की के लिये खुमेरीबार में प्रस्तावित साराक्षित भूमि जो कि इमेरीबार में P. O. D के किंद-इस सम्बन्ध में बीर जांव से सामापार प्रभाण पत्र मामा अथा अफ लिया हारा बन अते के मुतावित महाण पत्र दिवा अथा है जब कि सविद्य में व्याना अवन का काप किया जायेगा आ सहा कि नियम लिया की पर हथाने दिवा जांव

- D न्याम समा नार के कापश्किरी म डोके जिल्ले बांब की एक्सी न ही,
- की उसका रास्ता न रोका जाय अनि के जाह पर पुराह न कर



दिनाक...... को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति ग्राम पंचायत

क्रमाक	ग्राम सभा के वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम पूर्वानन्य डाठ की इन्यू अफी	हस्ताक्षर
1 -	पूर्वान-२ ४१० स्म इ-य भवा	security 2 or my
2 -	पितृ असायडा० अमी सन्तेश्वर्थ	() est
	पदम करा 5 / अभी भागारते	
3 -		yener son
4 -	राजेन्य प्रधाद ड) ० अस्तिय विश्वाद	01
		cho.
5-	नीरेन्ड्रदत डाल्डानी विद्यादत	मीर ज्यु देश
6 -	वाचस्पति ऽ१० सी २१मा छर	Jun D
	20	1
7 -	देवी प्रधाद ड) कार्य प्रधाद	Gar Street
	उपन्यद्व डाव और विद्याहन	
8-		(Zan
9_	गावन्द अवाद डोठारिश भागनी	3/19-50mg
	CO A A	
10-	हिंदारी 5)० अविश्वास्थित	G Sight

ह0 -

ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम :- प्राल्य याना भाग भाग

कार्यालय उप जिलाधिकारी, हाना अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति. -

धेनालेल परिक्षेत्र के अन्तर्गत - (° 2° हे0 आरक्षित वन भूमि, — हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमिहे0 भूमि, अर्थात कुल - ° 2° हे0 वन भूमि) का -प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूस्चित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील किल्प्) की दिनांक सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री (कार्रेज) के जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

श्री कार्या लोल उपजिलाधिकारी -श्री किए कि केंद्र जिप प्रभागीय वनाधिकारी श्री करें कार किया माज कल्याम अधिकारी सदस्य/सचिव श्री पारस्वर प्रकार खींठडी०सी० क्षेत्र

पारेश्वर प्रलाद बडोनी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया

पारिष शाना भावन धनामल -परियोजना हेतू 🚉 🖺 है० वन भूमि

- प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

प्रताम विभाग

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, प्रिक प्रक क्रिकेट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक	में	सर्वसम्मति	से	उपर	ਭਾਵ		परिक्षेत्र	के 🤫	अन्तर्गत
		परियोजना		के	निर्माण	हे	तु::20	हे0	वन
भूमि		प्रयोक्ता	एजेन	सी को	जनहित में	सक्षम	प्राधिकारी	से अनुम	ते प्राप्त
- •		किये जाने पर सह							
					तहर	नील	गाधिकास्मि तरीय वन जिलाधिक पन-ानी		समिति
प्रतिलिपि	ा- जिला	धिकारी,			को सू	चनार्थ ए	रवं आवश्य	क कार्यवाह	ही हेतु ।

प्रारूप-30.1

OFFICE OF DISTRICT COLLECTOR DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTRAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under schedule Tribes & Other Traditional forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level committee recommended the above case for diversion for diversion for the said purpose.

place- Tehri

Date-

(युगन किशोर पन्त)

District Collector Cum chairman
District Level committe
Tehri Garhwal.

Encl.-01

It is further certified that – Minutes of meeting of Thana Ghansali 0.20 He. Regarding FRA is as follows –

	ing ria is as follows	Remark
SI. No.		•
(a)	and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.20 hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Shabha(s), Sub-Disivion Level Committee(s), and the District Level Committee are enclosed as annexureto annexure	
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent it.	there are no habitants belonging to scheduled tribes and othe traditional Forest Dwellers. No objection certificate concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Group and Preagricultural communities.	Yes copy of records attached a there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य टिहरी गढवाल संजुला नेगी सदस्य

जिला पंचायत पडागली कित्का मिलगंना (टि०ग०) समाज कल्याण अधिकारी जलिटहरी गढवाल दिन्सी गढवाल नरेन्द्रनगर प्रभागीय क्लाधिकारी टिहरी गढवाल

स्थान किशोर पदा) जिलाधिकाडी क्रिजी शहसाल

FORME-I

(for projects other than linear project)

Government of Uttrakhand

Office of District collector Tehri Garhwal

No..

Date.....

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of india letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3 August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Fights) Act, 2006 (FRA; for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.0394 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Superintendent of police**, (name of user agency) for construction of Thana Ghansali Scheme (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls, within jurisdiction of Ghansali in Ghansali Tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 0.0394 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meeting of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division leavel committee are enclosed as annexure.....to annexure.....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama sabhas have given their consent to it:
- (C) the proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.

Eucl: As above

(Full name and official seal of the District Collector)

(यूगान किशोर पन्त